न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–726/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/786

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. भंवरपुरी पुत्र श्री धरमपुरी के कायममुकाम वारिशान 1/1 राजू पुत्र श्री भंवरपुरी, उम्र 37 वर्ष, 1/2 श्याम पुत्र श्री भंवरपुरी, उम्र 32 वर्ष, 1/3 श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी श्री भंवरपुरी, उम्र 65 वर्ष, 2. छगनपुरी पुत्र श्री भंवरपुरी, उम्र 71वर्ष, 3. उम्मेदपुरी पुत्र श्री धरमपुरी, उम्र 66 वर्ष, 4. रमेशपुरी पुत्र श्री धरमपुरी के कायममुकाम वारिशान 4/1 हरदेव पुत्र श्री रमेशपुरी, उम्र 35 वर्ष, 4/2 प्रकाश पुत्र श्री रमेशपुरी, उम्र 32 वर्ष, 4/3 बबी पत्नी श्री रमेश कुमार उम्र 52 वर्ष, 5. परबतपुरी पुत्र श्री धरमपुरी उम्र 51 वर्ष, तमाम अपीलण्ट्स जातिगण गुसाई, निवासी चामुण्डेरी, तहसी बाली, जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली जिला पाली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, पाली के आदेश दिनांक 22–02–2024

उपस्थिति :–
1. श्री जगदीश प्रजापत, श्री नरेश कुमार पारंगी विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स।
2. श्री रतन सिंह, नायब तहसीलदार, उप तहसील नाना तहसील बाली (सरकारी पैरोकार), रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः–08 अक्टूबर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किअधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ.12(3)(127)राज/2023/676 दिनांक 22 फरवरी, 2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट श्री भंवरपुरी के कायम मुकाम श्री राजू वगैरह ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:33 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त, पाली

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किश्रीमान् सेटलमेन्ट अधिकारी केम्प कोर्ट बाली द्वारा परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14.07.1953 द्वारा गुसाई वाले बाबा, धरमपुरी वल्द तेजपुरी साकिन चामुण्डेरी के खेत सरहद गांव भण्दर में खेत 13 बीघा खसरान भण्दर में देकर दिनांक 11.07. 1953 को लिखित में देकर परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14. 07.1953 दर्ज करवाया था, जिस पर भू प्रबन्धन विभाग द्वारा धरमपुरी पुत्र श्री तेजपुरी जाति गुसाई साकिन चामुण्डेरी के पक्ष में पर्चा लगान दर्ज किया गया। सहायक भू प्रबन्धन एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, जोधपुर द्वारा अपीलाण्ट के पिताजी एवं दादाजी से पर्चा लगान दर्ज करते समय त्रुटिवश 13 बीघा दर्ज करने के बजाय खसरा 225 गांव भण्दर में 0.3800, 226 में 0. 3500, 227 में 0.0700 व 228 में 0.2800 हैक्टेयर दर्ज कर दिया था जबकि अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिताजी एवं दादाजी धरमपुरी पुत्र तेजपुरीजी एवं वर्तमान में धरमपुरीजी के कायम मुकाम वारिशान अपीलाण्ट का आज तक उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त 13 बीघा कृषि भूमि पर ही है एवं उसी अनुसार अपीलाण्ट काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्ट्स एवं उनके पिताजी एवं दादाजी कानूनी पेचीदगीयों को नही समझ सके। इस कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान एवं बाद की जमाबन्दीयों को कभी भी देखने हेतु जमाबन्दी लेने की आवश्यकता नही पडी है एवं न ही इस खसरे पर अपीलाण्ट् एवं उसके पिता एवं दादाजी द्वारा कभी कोई कृषि ऋण ही लिया गया था।

अपीलाण्ट विद्वान के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि दिनांक 15.05.2024 को हल्का पटवारी भन्दर द्वारा अपीलाण्ट को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आदेश क्रमांक एफ12 (3) (127)/राज./2023/677–685 दिनांक 22.02. 2024 की फोटोप्रति देकर अपीलाण्ट्स को अवगत कराया गया कि गांव भन्दर के खसरा नम्बर 225 रकबा 1.8700 हैक्टेयर किस्मबारानी दोयम भूमि में से 0.8000 हैक्टेयर भूमि गांव भन्दर के सार्वजनिक श्मशान हेतु निःशुल्क आंवटन की गई है तथा अपीलाण्ट्स का रकबा गांव भन्दर के खसरा नम्बर 225/4668 रकबा 0.3800 हैक्टेयर बारानी दोयम में नियत किया गया है। तब अपीलाण्ट को पता चला कि अपीलाण्ट की कब्जा एवं काश्तसुदा कृषि भूमि जो सेटलमेन्ट केम्प प्रभारी बाली द्वारा परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14.07.1953 की पालना में जो कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिताजी एवं दादाजी धरमपुरी पुत्र तेजपुरी के नाम से आंवटित हुई थी, उक्त कृषि भूमि में गैर कानूनी रूप से मेघवाल समाज के सार्वजनिक श्मशान हेतु आंवट्न कर दिया गया है। तब अपीलाण्ट द्वारा तुरन्त ही हल्का पटवारी भन्दर से सम्पर्क कर सम्बन्धित खसरे की नकले प्राप्त कर तुरन्त ही अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14.07.1953 के द्वारा अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिताजी एवं दादाजी धरमपुरी वल्द तेजपुरी साकिन चामुण्डेरी को गांव भन्दर में 13 बीघा कृषि भूमि आंवटित होने एवं गांव भन्दर के खसरा नम्बर 225 के रकबा 1.8700 पर कब्जा एवं काश्त होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट के पिताजी एवं दादाजी के नाम से आंवटित कृषि भूमि में सार्वजनिक श्मशान हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश खारिजे काबिल है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:33 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट्स के नाम की कब्जा व काश्त की खातेदारी कृषि भूमि होने के उपरान्त भी राजस्व ग्राम भन्दर के खसरा नम्बर 225 में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्रमांक एफ 12(3)(127) /राज./2023/676–685 दिनांक 22.02.2024 को आदेश करते समय अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिसनही दिया गया एवं बिना सुने ही अपीलाण्ट्स की कब्जा एवं काश्त योग्य भूमि में गैर कानूनी रूप से आदेश पारित कर दिया। परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14.07.1953 को श्रीमान् सेटलमेन्ट केम्प प्रभारी बाली द्वारा जमीन आंवटन करने के उपरान्त अपीलाण्ट एवं उसके स्वर्गीय पिताजी एवं दादाजी द्वारा उक्त कृषि भूमि को उपजाउ बनाकर कृषि योग्य किया गया एवं वक्त वर्ष 1953 से लगातार आज तक अपीलाण्ट का ही उक्त कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट को बिना सुने एवं अपीलाण्ट द्वारा अपना पक्ष रखे बिना श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आदेश विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट एवं उसके स्वर्गीय पिताजी ने अपनी गाढी कमाई से उक्त कृषि भूमि को खाद डालकर खड़ाई कर कृषि योग्य एवं उपजाउ बनाया जाने के बाद अपीलाण्ट्स को बिना सुने किया गया आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया, आदेश यदि प्रभाव में रहता है तो अपीलाण्ट्स को भारी क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयों से नही की जा सकती है। इसलिये ऐसा आदेश खारिज किये जाने योग्य है।अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(127)/राज./2023/676–685 दिनांक 22.02.2024 विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

5. सरकारी पैरोकार श्री रतन सिंह नायब तहसीलदार, उप तहसील नाना तहसील बाली ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौजा भन्दर के खसरा नंबर 225 रकबा 1.8700 हेक्टर भूमि में से 0.8000 हेक्टर भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार सार्वजनिक श्मशान हेतु आवंटन आदेश क्रमांक एफ12(3)(127) / राज/2023/677–685 दिनांक 22.02.2024 द्वारा रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नक्शा तरमीम हुआ है, शेष भूमि खसरा नंबर 4841/225 रकबा 1.0700 हैक्टर काबिल काश्त पुरानी पड़त सिवायचक दर्ज है। वर्तमान में खसरा नंबर 225 पुराना(गत) 1001 खसरा नंबर से बना है तथा इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार परिवादी अपीलान्ट भवरपुरी वगैरा की कभी इस भूमि की खातेदारी भूमि नहीं रही है। वर्तमान में मौके पर शेष भूमि खसरा नंबर 4941/225 रकबा 1.0700 हेक्टर में से 0.9000 हेक्टर भूमि पर अपीलान्ट भंवरपुरी वगैरा का कब्जा काश्त है व शेष रकबा 0.1700 हेक्टर भूमि पड़त है। ग्राम भंदर के राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 4941/225 रकबा 1.0700 हेक्टर में से अतिक्रर्मित रकबा 0.9000 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमी भंवरपुरी के विरूद्ध राजस्व न्यायालय उपतहसीलदार नाना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार इन्ही पक्षकरो के मध्य इसी भूमि के विषय में घोषणा का दावा भी राजस्व न्यायालय में लम्बित होना बताया गया।

सरकारी पैरोकार श्री रतन सिंह नायब तहसीलदार, उप तहसील नाना तहसील बाली ने अभिकथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक एफ12(3)(127)/राज/2023/677–685 दिनांक 22.02.2024 को पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:33 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

अपीलाण्ट भंवरपुरी के कायम मुकाम की ओर से जैर अपील दिनांक 04.07.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट द्वारा लगभग 3 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 22.02.2024 विधि के अनुरूप होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

रिबटल में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस का प्रत्युत्तर कर अभिकथन किया कि इस भूमि के विषय में जो तरमीम की गई है, उस पर हम पक्षकारान् के हस्ताक्षर नही है तथा मौका रिपोर्ट पर भी हम पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा उनके आदेश क्रमांक एफ12(3)(127)राज/2023/676 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा ग्राम भंदर के खसरा नंबर 225 रकबा 1.87 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 0.800 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि मौजा गांव भन्दर परवाना माफी नम्बर 133 दिनांक 14.07.1953 के द्वारा अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिताजी एवं दादाजी धरमपुरी वल्द तेजपुरी साकिन चामुण्डेरी को गांव भन्दर में 13 बीघा कृषि भूमि आंवटित की गई है। इस संबंध में सरकार पैरौकार श्री रतन सिंह नायब तहसीलदार नाना के अभिकथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काष्त नही है तथा अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी से पृथक अन्य भूमि आवंटित की गई है। इस प्रकार वाद ग्रस्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि नही रही है तथा न ही उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व श्मशान हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाली एवं तहसीलदार, बाली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा नही होना अवगत कराया गया है। भूमि आरक्षित करते समय वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम भन्दर के खसरा नंबर 225 रकबा 1.87 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 0.8000 हैक्टेयर भूमि राजकीय भूमि होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व की धारा 92 के तहत सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित की गई है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/02/2024 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तथा वक्त आंवटन प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला कलेक्टर का आदेश क्रमांक एफ.12(3)(127)राज/2023/676 दिनांक 22.02.2024 विधि के अनुरूप होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर पाली का आदेश एफ.12(3)(127)राज/2023/676

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

दिनांक 22.02.2024 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 08 अक्टूबर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:33 IST
Reason: SelfAttested